राजस्व वाद 52/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/112
रामप्रसाद बनाम् हीराराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर, व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :52/2021

वादीगण–

1. रामप्रसाद पुत्र हीराराम
2. धनश्याम पुत्र हीराराम
3. श्रवण कुमार पुत्र हीराराम

जातियान– ब्राहम्मण निवासीगण–कठौती ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हीराराम पुत्र मोहनलाल
2. भगवती देवी पुत्री हीराराम
3. तारामणी पुत्री हीराराम

जातियान– ब्राहम्मण निवासीगण–कठौती ,तहसील जायल (नागौर)

4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री अम्बालाल पारासर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कठौती तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 354, 597/476 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रवितादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक ईकबालिया जबाब/सहमति एवं लोक अदालत की भावना अनुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

1. वादी संख्या 1 रामप्रसाद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोखा जोधा का खेत खसरा नंबर 354 रकबा 1.1979 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

6

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर
20/10/2021

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. वादी संख्या 2 धनश्याम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नोखा जोधा का खेत खसरा नंब 597/476 रकबा 5.0181 में से 2.2663 हेक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदा घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 श्रवणकुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 हीरालाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौज नोखा जोधा का खेत खसरा नंबर 597/476 रकबा 5.0181 में से 2.7276 हेक्टेयर माफिव नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 2 व वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 हीरालाल के खेत में से आने जाने हेत् रास्ते के लिये संयुक्त खातेदारी में मौजा नोखा जोधा का खेत खसरा नंबर 597/476 रकब 5.0181 में से 0.0242 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ता रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना हक बंट अपने भाईयों के पक्ष में रख दिया है इसलिये मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना उचित है।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/10/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/10/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

20/10/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner